राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प. 4(94)नविवि / 2024–11114 पार्ट–05 जयपुर, दिनांकः हस्ताक्षर तिथि

–:आदेश:–

राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम 1954 एवं राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1973 (उक्त नियमों को नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के अभियन्ताओं पर आज्ञा कमांक प.1(10)नविआ / 1981 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किया गया है) के प्रावधानों के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता (सिविल) से सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर वर्ष 2023–24 की रिक्तियों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक दिनांक 09.05.2025 को आयोजित की गई थी।

उक्त बैठक में श्री राजेन्द्र सिंह सहारण का चयन, उनके सेवा अभिलेख (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) अपूर्ण होने के कारण स्थगित (Defer) रखा गया था।

श्री राजेन्द्र सिंह सहारण द्वारा अपेक्षित अभिलेख पूर्ण कर विभाग में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इस संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 22.06.2026 को आयोजित कर उक्त स्थगित प्रकरण का पुनर्विलोकन किया गया। समिति द्वारा अभिलेखों की जांच उपरांत उन्हें पूर्ण एवं संतोषजनक पाया गया।

अतः विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के क्रम में **श्री राजेन्द्र सिंह सहारण (अनारक्षित)** को **वर्ष 2023–24** की **रिक्ति दिनांक 01.05.2023** के विरुद्ध कनिष्ठ अभियंता (सिविल) से सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

इनकी वरिष्ठता श्री हरिमोहन प्रजापति एवं श्री नवनीत कुमार के मध्य निर्धारित की जाती है। समिति द्वारा शेष सभी अनुशंषाओं को यथावत रखा गया।

श्री राजेन्द्र सिंह सहारण की पदोन्नति रिक्ति दिनांक 01.05.2023 से प्रभावी होगी, लेकिन वास्तविक नकद वेतन का परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। उक्त अभियन्ता अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

(डॉ. राष्ट्रदीप यादव)
शासन उप सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार), नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त / सचिव समस्त न्यास / प्राधिकरण।
4. प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
5. संबंधित अभियन्ता को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से।
6. रक्षित / निजी पत्रावली।

शासन उप सचिव–तृतीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Rashtradeep Yadav
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2026.06.25 16:01:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23053717
M e-Sign